छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक 10 /2018 दिनांक 25/06/2018

विषयः- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को बकाया राशि जमा करने में विलंबित अवधि ब्याज में छूट देने बाबत्।

--- 000 ---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संपदा अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि, स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों द्वारा भवनों के पंजीयन राशि जमा करने के बाद शेष राशि समय में जमा नहीं करने के कारण विलंबित अवधि का ब्याज भारित किया जाता है, जिससे शेष बकाया राशि में बढ़ोत्तरी के कारण राशि जमा करने में उन्हें कठिनाईयां हो रही है। आबंटी द्वारा अवशेष राशि जमा करने में होने वाली विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने पर मण्डल की अवरूद्ध राशि शीघ्र प्राप्त होगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की 56वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 30.05.2018 के पद संख्या 36 संकल्प क्रमांक 1662/36/56/05/2018 पर दीर्घ विचारोपंरात सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल की स्ववित्तीय योजनांतर्गत आबंटित एल.आई.जी. तथा ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के बकायादारों द्वारा संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त (**One Time Settlement**) दिनांक 31.08.2018 तक जमा करने पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए आगामी कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(आदेशानुसार)

25.06.18

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

पृ.क्र.1518 /सं.प्र.शा./मु.सं.अ./मुख्या/फा.नं.-387 /18 नया रायपुर, दिनांक 25/06/2018

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।

कमशः-02